संख्या– 1399/पाँच–6–15–38जी/15

प्रेषक,

अरविन्द नारायण मिश्र,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–6 लखनऊ, दिनांक: 04 जून, 2015

विषय: उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु लीवर प्रत्यारोपण पर होने वाले व्यय की दरों का तकनीकी परीक्षण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 1519/पांच–6–12–266 जी/11, दिनांक 11.12.2012 के संदर्भ में अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश द्वारा लीवर प्रत्यारोपण के संबंध में दरें निर्धारित की गयी हैं, किन्तु विभिन्न तकनीकी परीक्षण करने वाले सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रत्येक मामले का अलग–अलग परीक्षण किया जा रहा है। जिसके कारण देय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने में बडी असमंजसपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है। अतएव उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया लीवर प्रत्यारोपण संबंधी दावों का तकनीकी परीक्षण शासनादेश दिनांक 11.12.2012 के अनुसार करते हुए मदवार देय–अदेय का विवरण दर्शाया जाये एवं रू0 14.00 लाख के पैकेज के अनुसार देय धनराशि अंकित की जाये।

कृपया उक्त निर्देश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द नारायण मिश्र)
सचिव

संख्या– 1399/पांच–6–15–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश की प्रति अपने स्तर से समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी एवं समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश को प्रेषित कराने का कष्ट करें।
2. सचिव, वित्त (सामान्य) अनुभाग– 1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
3. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव